प्रेस नोट दिनांक 18.09.2025

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

🔰 **मुगलसराय पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 01 पिकअप से 60 बण्ड़ल (कुल 61.600 किलोग्राम) अवैध गाँजा की बरामदगी करते हुए 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**

🔰 **बरामद अवैध गाँजा की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रूपये है।**

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने जाने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.),अपर पुलिस अधीक्षक सदर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक गगज राज सिंह की टीम के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह को चकिया तिराहे पर चेंकिग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप में जले हुये मोबिल के ड्रम में गांजा लादकर तस्करी की जा रही है। प्राप्त सूचना पर उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा चकिया तिराहे पर घेराबन्दी कर चेंकिग प्रारम्भ की गयी। इसी दौरान जीटी रोड़ हाइवे की तरफ से एक पिकअप आती हुयी दिखाई दी। पिकअप को रोकने का प्रयास करने पर चालक ने पुलिस टीम को धक्का मारने का प्रयास करते हुये भागने लगा। आगे घेराबन्दी में सड़क वाधित होने से पिकअप रोड़ पर ही बंद हो गयी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर चालक व एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियक्तो की पहचान 1.(चालक) दिवाकर कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी झाली थाना सबार जनपद कैमूर ,भभूआ (बिहार) उम्र 20 वर्ष तथा 2. नितिश कुमार पुत्र बिजय राम निवासी अनाईट थाना नवादा जनपद भोजपुर , आरा (बिहार) उम्र 19 वर्ष के रुप में हुयी। पिकअप वाहन सं0 JH05BZ6683 से तलाशी से कुल 60 बण्डल अवैध गांजा की बरामद हुआ। जिसकी मापतौल कराने पर कुल वजन 61.600 किलोग्राम पाया गया । बरामद अवैध गांजा की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रु0 आंकी गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 – 462/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पिकअप के डाले मे ड्रम रख कर उस पर जले हुए मोबिल की पोताई करके उसके अन्दर गांजे के बन्डल को टेप से पैक कर गाँजा की तस्करी कर रहे थे। हम लोग उड़ीसा से उक्त गांजा को सस्ते दामों में खरीदकर वाराणसी ले जा ग्राहकों को बेच देते है।उसके बाद लाभ के पैसों को हम दोनो आपस में बराबर-बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. दिवाकर कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी झाली थाना सबार जनपद कैमूर ,भभूआ (बिहार) उम्र 20 वर्ष
2. नितिश कुमार पुत्र बिजय राम निवासी अनाईट थाना नवादा जनपद भोजपुर , आरा (बिहार) उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 – 462/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

विवरण बरामदगी –

1.60 बन्डल गाँजा जिसका वजन 61.600 Kg बरामद हुआ ।

2. एक महेन्द्रा पिकअप (JH05BZ6683)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 गगन राज सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली ।

2.उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

6.हे0का0 अतुल कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

7.हे0का0भूपेश कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

1.उ0नि0 आशीष मिश्रा स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

2.हे0का0 अरविंद भारद्वाज स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

3.हे0का0 आनंद सिंह स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

4.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

5.हे0का0 रामानंद यादव स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

6.हे0का0 बिजेंद्र कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

7.हे0का0 आशुतोष सिंह स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली

8.हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव स्वाट/सर्विलांश टीम जनपद चन्दौली